न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-1260/2026
मेघनाथ सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[जिरादेई थाना कांड संख्या 11/2026]
आदेश

15.07.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. मेधनाथ सिंह, 2. बबीता सिंह उर्फ बबीता देवी, 3. युवराज सिंह, 4. शिवानी सिंह उर्फ शिवानी कुमारी एवं 5. सुरभि सिंह उर्फ सुरभि कुमारी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1260/2026, जिरादेई थाना कांड संख्या 11/2026, अंतर्गत धारा–341, 323, 354, 498(ए)/34 भा0द0वि0 एवं धारा–3/4 दहेज निषेध अधिनियम पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सिंह, सूचिका के विद्वान अधिवक्ता श्री इष्टदेव तिवारी एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में परिवादिनी का कथन यह है कि सूचिका की शादी दिनांक 24.04.2021 को निखिल सिंह के साथ सम्पन्न हुई। शादी में सूचिका के पिता ने अपने हैसियत से ज्यादा वर एवं वर पक्ष के लोगों का ध्यान रखा एवं सभी समुचित उपहार शादी में प्रदान किए। विदाई के समय सूचिका के पति स्कार्पियो गाड़ी की मांग करने लगे। बहुत प्रयास से सूचिका के पिता एवं रिश्तेदारों द्वारा समझाने पर सूचिका की विदाई संभव हुई। जिसमें सूचिका के पिता को यह आश्वासन देना पड़ा की स्कार्पियो गाड़ी छह महीने में रूपए का प्रबंध कर खरीदकर किसी तरह प्रदान करेंगे। तब जाकर सूचिका की विदाई संपन्न हुई जबकि सूचिका के पिता द्वारा नगद चार लाख रूपया फर्नीचर खरीदने हेतु एवं छह लाख रूपया नगद शादी–तिलक के आयोजन में खर्च करने हेतु एवं दस तोला सोना का आभूषण, आधा किलो चांदी का आभूषण एवं करीब पांच लाख रूपए मूल्य का आवेदिका का कपड़ा, श्रृंगार सामग्री एवं अन्य प्रसाधन जो आवेदिका के निजी उपयोग के लिए थे, खरीदकर सूचिका के पिता द्वारा दिया गया था। ससुराल में सूचिका का जीवन सामन्य नहीं रहा। लेकिन पारिवारिक लोक–लाज एवं प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए सूचिका द्वारा बार–बार यह प्रयास किया जाता था कि शायद परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित हो जाए और सूचिका के ससुराल के लोग सूचिका की बात एवं उसकी भावना को समझ सके। आवेदिका को मुंह दिखाई की रश्म में जो कुछ भी उपहार प्राप्त होता था वह उपहार प्राप्त होने के साथ ही मेहमान को घर से जाते–जाते सूचिका की सास और सूचिका के दोनों ननद द्वारा तत्काल सूचिका के हाथ से छीन लिया जाता था और वे लोग कहते थे कि इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं हैं घर में पूर्व से कार्यरत नौकर को सूचिका के जाने के तीन दिन के बाद हटा दिया गया तथा घ ार के सभी वे कार्य जो नौकरानी के जिम्मे थे, अपना काम मानकर करती रही। लेकिन इसके बावजूद भी सूचिका के पति, सास, ससुर, देवर और दोनों ननद सूचिका को बराबर यह कहकर प्रताड़ित करते थे कि तुम काली हो और लड़के के योग्य लड़की नहीं मिली। विवाह के तुरंत बाद सूचिका की सास ने सूचिका को अपने मायके व रिश्तेदारों से संबंध तोड़ने, फोन पर बात न करने तथा सूचिका के माता–पिता से कोई संपर्क न रखने के लिए मजबूर किया। इसके बाद घर खरीदने व पति के व्यवसाय के नाम पर सूचिका तथा सूचिका के पिता से तीस लाख की लगातार दहेज की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने पर सूचिका को बार–बार मारपीट, गाली–गलौज, घर में बंद करना, फोन प्रयोग से रोकना तथा घर से निकालने की धमकियां दी गई तथा देवर, ननद, सास और ससुर सभी मिलकर कई बार सूचिका के साथ शारीरिक हिंसा की। सूचिका का बिस्तर सूचिका के पति के बिस्तर से जबरन अलग करवा दिया गया और सूचिका को आत्महत्या करने के लिए मानसिक रूप से मजबूर किया गया। इसी दौरान सूचिका के ससुर सूचिका के साथ अश्लील संबंध बनाने का प्रयास किए और सूचिका को धमकी

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-1260/2026
मेघनाथ सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[जिरादेई थाना कांड संख्या 11/2026]

15.07.2026
लगातार

दिए कि यह बात किसी को बताई तो तुम्हें घर से निकाल देंगे और सूचिका के माता–पिता को समाज में बदनाम कर देंगे। इसी क्रम में कोविड का प्रकोप काफी बढ़ गया था। आवागमन बाधित था। उस आवागमन बाधित होने के क्रम में सूचिका के पिता और भाई भी सूचिका के पास नहीं आ सके। इसी क्रम में सूचिका गर्भवती हो गई। लेकिन सूचिका के सास ने जबरन दवा खिलाकर पहला गर्भ खराब करवा दिए और सूचिका को लगातार मानसिक और शारीरिक यातना देती रही। इसी क्रम में सूचिका पुनः गर्भवती हुई और गर्भवती अवस्था में सूचिका के पति एवं सास, ससुर के द्वारा सूचिका पर यह दबाव दिया जाने लगा कि सूचिका पुनः दवा का प्रयोग कर गर्भ को समाप्त कर दूं। लेकिन सूचिका साहस के साथ अपने ससुराल पक्ष के सभी लागों को विरोध की। तत्पश्चात् दिनांक 16.03.2022 को सूचिका को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बच्चे के जन्म के दो–तीन दिन बाद से सूचिका को बच्चे को अपने पास रखने व मां का दूध पिलाने से रोका गया। जबरन बाहर का दूध पिलाया गया। जिससे बच्चा लगातार बीमार रहने लगा और सूचिका मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई तथा लगातार रोती रही। इसके बाद बच्चे का सतईसा होना था और सतईसा का कार्यक्रम दिनांक 12.04.2022 को संपन्न हुआ एवं दिनांक 13.04.2022 को सूचिका के ससुर मेघनाथ सिंह, सास बबीता देवी, पति निखिल सिंह, देवर युवराज सिंह तथा अविवाहित ननदें क्रमशः शिवानी कुमारी एवं सुरभि कुमारी द्वारा भाई विकास कुमार सिंह की उपस्थिति में धक्का मारकर सूचिका को घर से बाहर निकाल दिया गया तथा सूचिका के उपहार को ससुराल के लोगों द्वारा रख लिया गया। विवश होकर सूचिका भाई के साथ दिल्ली में रह रही अपनी बड़ी बहन के घर चली गई। तत्पश्चात् करीब दो माह वहां रहने और हर तरह का सामंजस्य स्थापित करने का अनुरोध करने के बावजूद भी सूचिका के ससुराल के उपरोक्त सभी लोगों ने सूचिका को घर में रखने से इंकार कर दिए। तत्पश्चात् आवेदिका अपने पिता के घर पर आकर रहने लगी। आवेदिका अपने पिता के घर पर जीवन निर्वाह कर रही थी। इसी क्रम में रिश्तेदारों द्वारा एक पंचायती आवेदिका के घर पर आयोजित हुई। उक्त पंचायती में आवेदिका के पति, ससुर, देवर एवं अन्य रिश्तेदार उपस्थित थे। उन लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक काले रंग का स्कार्पियो एन खरीदकर नहीं देंगे तब तक हम लोग आपकी बेटी और उसके बच्चे को अपने घर किसी भी हालत में नहीं रखेंगे और सूचिका के ससुर ने कहा कि अगर आप स्कार्पियो नहीं देते हैं तो मैं अपने लड़के की शादी दूसरी जगह करने जा रहा हूं और हमारे आपके मध्य कोई रिश्ता नहीं रहा।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दायर नहीं किया गया है। आवेदकगण का अतीत साफ है और उसके खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदकगण के खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा, बनावटी एवं मनगढंत है। आवेदकगण के द्वारा कभी भी दहेज की मांग नहीं की गई और न ही उनके द्वारा सूचिका को प्रताड़ित किया गया है बल्कि सूचिका ने अपनी मर्जी से वैवाहिक घर छोड़कर गई है। सूचिका के सभी वस्तुएं, उपहार, कपड़े और आभूषण अभी उसके कब्जे में है जो सूचिका ने वैवाहिक घर को छोड़ते समय अपने साथ ले गई थी। आवेदकगण मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-1260/2026
मेघनाथ सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[जिरादेई थाना कांड संख्या 11/2026]

15.07.2026
लगातार

वचन देते हैं। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी जिरादेई थाना कांड संख्या 11/2026, अंतर्गत धारा–341, 323, 354, 498(ए)/34 भा0द0वि0 एवं धारा–3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदकगण के विरूद्ध अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सूचिका से दहेज में स्कॉर्पियो एन गाड़ी की मांग करने और उसकी पूर्त्ति न होने पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 3, 4, 8 एवं 9 में साक्षियों का बयान अंकित है जिसमें किसी भी साक्षी ने आवेदकगण के ऊपर स्पष्ट आरोप नहीं लगाया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 25 के अनुसार आवेदकगण के खिलाफ जिरादेई थाना में इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। प्रस्तुत मामले में आवेदकगण सूचिका के पति को छोड़ ससुराल पक्ष के अन्य लोग हैं। उपरोक्त तथ्यों के अलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. मेधनाथ सिंह, 2. बबीता सिंह उर्फ बबीता देवी, 3. युवराज सिंह, 4. शिवानी सिंह उर्फ शिवानी कुमारी एवं 5. सुरभि सिंह उर्फ सुरभि कुमारी** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म समर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000/– रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात् धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो के अलावे एक जमानतदार आवेदकगण के निकट संबंधी होने की शर्त के अनुपालन के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदकगण समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं और बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर विचारण में अनुपस्थित रहते हैं तो विद्वान विचारण न्यायालय को आवेदकगण/अभियुक्तगण के बंधपत्र को निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय्,
सिवान।
दिनांक 15.07.2026

Date of Order/Judgment	15.07.2026
Date of Reserving Order/Judgment	15.07.2026
Uploading Date	16.07.2026
Uploaded By	RAVI KANT

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी

A.B.P. No.-1260/2026

मेघनाथ सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार

[जिरादेई थाना कांड संख्या 11/2026]